04.11.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण पक्ष उप.। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गंगासर पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 54 रकबा 3.48 हैक्टयर खातेदारी भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम से अवैध व लगत ढंग से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार मौजा बापुनगर पटवार हल्का अचलपुर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 665/1199, 687, 688, 689, 690, 691, 692 जुमले रकबा 13.15 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि आई हुई है। धुड़ा वल्द सांवला की तत्समय मृत्यु हो गई तथा उपरोक्त सजरा खानदान माफिक श्री धुड़ा के निर्वसीयत फौत होने के पश्चात उनके नाम दर्ज समस्त करमणा, सवा एवं रामा के साथ राजस्व रेकर्ड में बतौर उतराधिकारी दर्ज होना चाहिए था। परन्तु करमणा, सवा, रामा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर महज इन तीनो का नाम दर्ज करवा दिया तथा हम प्रार्थीगण के पिता/दादा मावा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया गया था। जबकि प्रस्तुत दस्तावेज एवं सजरा खानदान से यह बात पूर्णतया साबित है कि उक्त आराजी हमारी पैतृक सम्पति है तथा श्री धुड़ा की सम्पति पुराने खेत खसरा नम्बर 30 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 54 रकबा 3.48 हैक्टयर में श्री मावा का 1/4 हिस्सा जन्म से बनता था। तथा मावा के हम प्रार्थीगण विधिक वारिश है। व पुराने खेत खसरा नम्बर 350 व 351 रकबा 81 बीघा 5 बिस्वा में वक्त प्रथम सेटलमेन्ट में 3/4 हिस्सा हमारे दादा/परदादा श्री धुड़ा वल्द सावंला का नाम दर्ज था। तथा 1/4 हिस्सा हमारे पिता/दादा मावा के नाम दर्ज था उक्त आराजी में हमारे पिता मावा के फौत होने पर उकने नाम दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि में हमारे नाम का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जाशुदा एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर वक्त पीढियों से लगातार अलग से हम प्रार्थीगण का काश्त कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि में खाद वगैरह डालकर, समतल कराकर उपजाउ व उपयोगी बनया है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तथा इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण अगर प्रार्थीगण के कब्जासुदा व खातेदारी की भूमि से बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरूद्व से बेदखल करने में तथा हम प्रार्थीगण को अपने खेत पर काश्त करने से वंचित करने में सफल हो गए या आगे बगैर अधिकार के वादग्रस्त आराजी बैचान कर हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में किया जाना मुमकिन नही होगा। इस प्रकार तीनों मूल आधारभूत सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे।

हमनें वकील प्रार्थीगण की [illegible] बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] किया। वादग्रस्त आराजी पैतृक संयुक्त खातेदार प्रकृति की है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं [illegible] से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने से [illegible]कार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner